

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री शेख शकील, तदेन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर-महागामा के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 1930 के नियम- 55 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2751 दिनांक- 21.10.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. चूँकि श्री शकील दिनांक- 30.06.2008 को (विभागीय कार्यवाही संचालन के पूर्व ही) सेवानिवृत्त हो चुके थे। अतएव ऐसी स्थिति में सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम- 43बी० में सम्परिवर्तित किया जाता है।

89-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 9214 राँची/दिनांक 12-05-17

प्रतिलिपि :- उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-03), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर-महागामा/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay Kumar

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव